

22/03/2021 में प्राप्त
कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक—422/133/आउशि/शा-5'अ' / 2020,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/03/2021

1. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश
2) प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय:— कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भ:— गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2 भोपाल
दिनांक 19 मार्च, 2021।

*KINDLY CIRCULATE
AR (C/MT) NOVEMBER 2013
10/01/2021
10/01/2021
23/03/2021*

—000—

उपरोक्त विषय के संदर्भ में समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन
द्वारा जारी संदर्भित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित समस्त प्रकार की परीक्षाओं में शामिल शिक्षकों, कर्मचारियों तथा
परीक्षार्थियों को स्वास्थ विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये जारी दिशा निर्देशों
का पालन करना अनिवार्य होगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

*22/03/2021
(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश*

पृ. क्रमांक—422/133/शा-5'अ' / 2020

भोपाल, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपि :

- निज सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 - स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल मध्यप्रदेश।
 - उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
 - निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
 - निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 - समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
 - समस्त अग्रणी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 - विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आईटी.शाखा, उच्च शिक्षा, संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश*

R.WO-133/201-1/31/0
22.03.2021

सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2.
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2021

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
म.प्र.

विषय— कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में
दिशा—निर्देश।
संदर्भ— गृह विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13 मार्च, 2021 एवं
16 मार्च, 2021

उपरोक्त संदर्भित निर्देश दिनांक 13 मार्च, 2021 एवं 16 मार्च, 2021
को यथावत प्रभावशील रखते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड की संख्या में
विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए निम्न अतिरिक्त दिशा
निर्देश जारी किये जाते हैं :—

- 1 भोपाल, इन्दौर और जबलपुर शहर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार
को लॉकडाउन होगा। इन तीनों शहरों में शनिवार रात 10 बजे से
सोमवार सुबह 6 बजे तक उक्त लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन
की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाइयों के
श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, वीमार
व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन आने एवं जाने तथा
परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
- 2 भोपाल, इन्दौर और जबलपुर शहर में दिनांक 31 मार्च, 2021 तक समस्त
स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षाएं जिनमें
प्रतियोगी परीक्षाएँ भी सम्मिलित हैं, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
ही आयोजित होंगी। परीक्षार्थियों तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न
अधिकारियों/कर्मियों को आने जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।

CC
19/3/21

- 2 -

3 भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर शहरों के साथ ही उज्जैन, रत्नाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगौन शहरों में भी रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिवधि लागू नहीं होगा।

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।


(डॉ राजेश सैनी)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

क्रमांक एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2, भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2021

प्रतिलिपि-

- 1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 2 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय गृह मंत्रीजी।
- 3 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
- 4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव—कृपया अपने विभाग से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों को उक्त के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
- 5 पुलिस महानिदेशक, म.प्र।
- 6 समस्त संभागायुक्त, म.प्र।
- 7 समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.
- 8 समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित।


अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग